उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या- 13/2021/640 /सत्रह-म-2021-6-9(236)/14 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 09 जून, 2021

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा सीधी भर्ती (सामान्य चयन) के माध्यम से सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित/ संस्तुत 11 अभ्यर्थियों मे से 10 अभ्यर्थियों को सम्यक विचारोपरान्त वेतनमान रू0 15600-39100-ग्रेड पे 5400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान करने एवं निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-5 में उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद/स्थान में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	पता	जन्म तिथि/ गृह जनपद	तैनाती का स्थान
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ऋचा चौधरी पत्नी श्री नरेश कुमार	63, आर0डी0ए0 इन्दिरानगर कालोनी रायबरेली उ0प्र0 229001	दि0- 25.04.1994 /रायबरेली	मऊ
2.	श्री गिरीश त्रिपाठी पुत्र श्रीजी0एस0 त्रिपाठी	ग्राम-पनका बहादुर नगर, पो0-भौती, कानपुर नगर,उ0प्र0 209305	दि0- 02.03.1992 /कानपुर नगर	हमीरपुर
3	श्री आशीष कुमार मौर्या पुत्र श्री जे0पी0 मौर्या	मकान सं0-82, ग्रा0-सैदपुर, पो0-महोली,थाना-रौनाही,तहसील-सोहावल, जिला अयोध्या उ0प्र0 224126	दि0-21.03.1992 /अयोध्या	महराजगंज
4	सुश्री अनीता पुत्री श्री धनी लाल टम्टा	ग्रा0- सुणाई, पो0-कालूसैंण, तहसील-कर्णप्रयाग, जिला-चमोली, उत्तराखण्ड 246488	दि0- 05.07.1991 /चमोली	रामपुर
5	सुश्री विभा लोहनी पुत्री श्री सतीश चन्द्र लोहनी	निकट जिम कार्बेट स्कूल, तुलसीनगर,पॉलीशीट,काठगोदाम, हल्द्वानी उत्तरराखण्ड	दि0- 29.09.1991 /नैनीताल	बरेली
6.	श्रीमती पूजा गौतम पुत्री श्री ज्ञान प्रकाश गौतम	ग्रा0- धौरहरा, पो0- सिंधौरा,जनपद-मिर्जापुर उ0प्र0- 231304	दि0- 18.07.1988 /मिर्जापुर	अम्बेडकर नगर
7.	सुश्री मुक्ता सिंह पुत्री श्री तुलसी राम सिंह	मकान नं0-106 वार्ड नं0-8,आजाद नगर, केवटाना, नगर पंचायत झूँसी जनपद-प्रयागराज उ0प्र0 211019	दि0- 01.05.1989 /प्रयागराज	सहारनपुर
8.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र	ग्राम- अगरवा पूरे बुधई शुक्ल का पुरवा, पोस्ट- तरौली बाजार, थाना-इनायतनगर,मिल्कीपुर, जनपद-अयोध्या,उ0प्र0 224158	दि0- 01.02.1990 /अयोध्या	बहराइच

9	श्री प्रशान्त गंगवार पुत्र श्री कढेराम गंगवार	के-4 शास्त्रीनगर, थाना- प्रेमनगर, जिला- बरेली उ0प्र0 243122	दि0- 02.01.1986 /बरेली	आगरा
10	डा0 विनोद कुमार वर्मा पुत्र श्री बालक राम वर्मा	म0नं0-744, मो0- लखपेडाबाग, कालोनी,निकट भवानी नीम, थाना-कोतवाली, जिला-बाराबंकी,उ0प्र0 225001	दि0- 24.01.1984 /बाराबंकी	बलरामपुर

2- उक्त अभ्यर्थी मत्स्य विभाग में अपनी योगदान की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और परिवीक्षा अवधि (जो नियमानुसार बढाई जा सकती है) सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त उनके स्थायीकरण पर विचार किया जायेगा।

3- अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/अनुमन्य महँगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते,जो भी हों, देय होंगे।

4- अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गयी संगत नियमावलियों, शासनादेशों एवं नियमों के अधीन होंगी।

5- संबंधित अभ्यर्थी आदेश की प्रति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर तैनाती के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण कर लें। यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्ति-युक्त कारण के बिना योगदान नहीं करता है,तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त/निरस्त करने की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

6- इस आदेश के निर्गमन के पश्चात यदि शासन के संज्ञान में आता है कि वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव आदि सम्बन्धी योग्यता के संबंध में कोई अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है, तो संबंधित अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।

7- अभ्यर्थियों को तैनाती के जनपद तक जाने/ पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8- अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/ घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे-

(1) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।

(2)राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण- पत्र।

(3) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण –पत्र ।

(5)चल तथा अचल सम्पत्ति की घोषणा।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र ।

9- अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

10- उक्त अभ्यर्थी संबंधित जनपद/ स्थान में योगदान करने के पश्चात अपना कार्यभार प्रमाणक निदेशक मत्स्य व शासन को उपलब्ध करायेंगे।

कृष्ण कुमार
विशेष सचिव।

संख्या- 13/2021/640(1) /सत्रह-म-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(2) निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, आजमगढ/चित्रकूट धाम/गोरखपुर/ मुरादाबाद/ बरेली/अयोध्या/सहारनपुर/देवीपाटन/ आगरा

(4) जिलाधिकारी, मऊ/हमीरपुर/महराजगंज/रामपुर/बरेली/अम्बेडकर नगर/ सहारनपुर/बहराइच /आगरा /बलरामपुर।

(5) सम्बंधित कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी ।

(6) उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-119(iv)/15/एस- 2/डी/2014 - 15 दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(7) संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज को राजपत्रित गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(8) उप निदेशक मत्स्य, (मुख्यालय) उ0प्र0 लखनऊ।

(9) उप निदेशक मत्स्य, आजमगढ/चित्रकूट धाम/गोरखपुर/ मुरादाबाद/ बरेली/अयोध्या/सहारनपुर/ देवीपाटन/ आगरा मण्डल ।

(10) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(11) सम्बंधित अधिकारीगण (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।